राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736

क्रमांक एफ ( ) आकाशि/नि.स./2022/424 दिनांकः– 28.2.2022

आदेश

राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन अनुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के मापदण्ड पूर्ण न करने पर की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही संबंधी निजी महाविद्यालय नीति 2021–22 के नीति बिन्दु 31.2.2 में निम्नानुसार संशोधन करते हुए, नीति बिन्दु 31.2.4 को विलोपित किया जाता है–

प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् 5 वर्ष में स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के मापदण्ड पूर्ण न करने पर छठे वर्ष में रूपये 2.5 लाख की शास्ति, सातवें वर्ष में रूपये 3.00 लाख की शास्ति, आठवें वर्ष में रूपये 3.50 लाख की शास्ति, नवें वर्ष में रूपये 4.00 लाख की शास्ति व दसवें वर्ष में रूपये 4.50 लाख की शास्ति..... इसी अनुसार प्रति संचालन सत्र 50,000 रूपये की अभिवृद्धि करते हुए संबंधित संचालन सत्र की शास्ति की गणना सत्र 2021–22 व 2022–23 तक की जावेगी। शास्ति जमा करवाने पर ही महाविद्यालय को संबंधित एक सत्र हेतु TNOC अभिवृद्धि जारी की जावेगी।

तत्पश्चात् सत्र 2023–24 में संस्था का अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के मापदण्डों की पूर्ति के अभाव में क्रमिक निरस्त कर दिया जावेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ट सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
6. वेबसाईट प्रभारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.स.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान